-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 05.06.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना बबेरु पुलिस द्वारा व्यक्ति को जान से मारने की नियत से अवैध तमंचे से फायर करने वाले 02 अभियुक्तों को 03 घण्टे के भीतर किया गया गिरफ्तार । अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा सहित जिन्दा व खोखा कारतूस बरामद ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 05.06.2026 को थाना बबेरु पुलिस द्वारा व्यक्ति को जान से मारने की नियत से अवैध तमंचे से फायर करने वाले 02 अभियुक्तों को सूचना के 03 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि थाना बबेरु क्षेत्र के ग्राम पड़री के रहने वाले चुन्ना उर्फ रामबहादुर ने थाना बबेरु पर सूचना दी कि दिनांक 04.06.2026 की रात्रि में गांव के ही रहने वाले दो व्यक्ति राजेश व चुनकू ने मामूली बात को लेकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से उनके ऊपर अवैध तमंचे से फायर कर दिया । सूचना पर तत्काल थाना बबेरु पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया तथा वादि द्वारा बताए गए स्थानों पर तत्काल दबिश दी गई तो अभियुक्तों ने पुलिस को देखकर हवाई फायर कर दिया । पुलिस द्वारा तत्काल घेराबंदी कर आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए दोनों अभियुक्तों को ग्राम पड़री के गिरफ्तार कर लिया गया । तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक अवैध तमंचा 04 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद हुए है । जिसके सम्बन्ध में थाना बबेरु पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर सम्बन्धित मा0 न्यायालय भेजा गया । बता दें कि दोनों अभियुक्त सगे भाई है तथा दोनों पर हत्या, मारपीट, गैंगस्टर एक्ट आदि सहित कई मामलें दर्ज है ।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजेश पुत्र राजा निवासी पड़री थाना बबेरु जनपद बांदा ।
2. सुरेन्द्र उर्फ चुनकू पुत्र राजा पड़री थाना बबेरु जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 214/26 धारा 109/352/351(3) बीएनएस थाना बबेरु जनपद बांदा ।
2. मु0अ0सं0- 215/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरु जनपद बांदा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राजेश उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0- 55/04 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बबेरु जनपद बांदा ।
2. मु0अ0सं0- 194/06 धारा 147/148/149/302/404 भादवि व 7 सीएलए एक्ट एवं 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बबेरु जनपद बांदा ।
3. मु0अ0सं0- 196/06 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना बबेरु जनपद बांदा ।
4. मु0अ0सं0- 371/22 धारा 306 भादवि थाना बबेरु जनपद बांदा ।
5. मु0अ0सं0- 05/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरु जनपद बांदा ।
6. मु0अ0सं0- 43/26 धारा 115(2)/131/333/352/351(3) बीएनएस थाना बबेरु जनपद बांदा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुरेश उर्फ चुनकु उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0- 194/06 धारा 147/148/149/302/404 भादवि व 7 सीएलए एक्ट एवं 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बबेरु जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 197/06 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरु जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0- 371/22 धारा 306 भादवि थाना बबेरु जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0- 43/26 धारा 115(2)/131/333/352/351(3) बीएनएस थाना बबेरु जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री कृष्ण बिहारी लाल मिश्रा
2. कां0 विमल यादव
3. कां0 आदित्य अवस्थी
4. कां0 विवेक राठौर
5. कां0 सत्येन्द्र